24-8-21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुन[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 03.03.2021 का अवल[illegible] किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम म[illegible] स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि[illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी की भूमि[illegible] पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः पडौसी खाते[illegible] व प्रार्थी को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीम[illegible] मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचि[illegible] अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार [illegible] जाने योग्य है।

(बृजेश कुमा[illegible]
उपखण्ड अधि[illegible]
नीमकाथाना (सी[illegible]

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना [illegible] प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमक[illegible] को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम म[illegible] स्थित भूमि खसरा नंबर 488/1, 488/2 की चर्तुसी[illegible] की प्रार्थीया, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान[illegible] सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान[illegible] 03.2021 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमक[illegible] को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद [illegible] शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमा[illegible]
उपखण्ड अधि[illegible]
नीमकाथाना (सी[illegible]